राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151
27 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु अधिगृहित भूमि

1151. **श्री संजीव कुमारः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना करते समय कुल कितनी भूमि अधिगृहित की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि हजारों विस्थापित परिवार धन और नौकरियों के तौर पर अपनी देय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मुद्दे पर प्राधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने में विफल रहे हैं; और

(घ) दशकों पुराने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): राज्य सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) की स्थापना के लिए 31287.240 एकड भूमि का अधिग्रहण किया था।

(ख) से (घ): मुख्य रूप से रोजगार की मांग करते हुऐ विस्थापित व्यक्तियों की दूसरी/तीसरी पीढ़ी के लोगों द्वारा कुछ आंदोलन किये गये है। तथापि, बीएसएल अब तक 16,000 से अधिक विस्थापित व्यक्तियों को पहले ही रोजगार प्रदान कर चुका है जोकि विस्थापितों के रूप में प्रारभ में अभिज्ञात किये गये 6019 परिवारों की संख्या से काफी अधिक है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल बनाम देबे लाल मेहतो के दिनांक 5.3.2008 के मामले (वर्ष 2008 की सिविल अपील संख्या 1774) के तहत विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने से संबंधित सभी लम्बित मामलों पर पूर्ण रूप से निर्णय दिया जा चुका है और उनका निपटान किया जा चुका है तथा सेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों और मार्ग निर्देशन का अनुपालन कर लिया है।

***